

महोदय अध्यक्ष : जन समस्याओं की ओर से अगर में उदासीन होऊं या ये इजाजत न दूं फिर तो बात है। मेरा चैम्बर आपके लिए खुला है, सोचने के द्वारा खुले हैं, जब चाहें आएँ, बात कर लें। जो चीज होगी प्रायोरिटी बेयसस पर होगी। बार बार मैं दौहराता हूँ। इस चीज का अर्थ कोई नहीं रहता है। बार बार वही सम्भ्रान्त मेरे सदस्य उसी तरह से रोज़ बात करें तो अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता है, आपको भी। मैं जब तैयार हूँ बात करने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार हूँ, सजेशन मानने के लिए तैयार हूँ, आपके मुताबिक काम करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। जितना समय आप चाहते हैं अभी आज करके दिखाना चाहता हूँ। बैठे रहिए, भाषण करते रहिए। इधर भी मंत्री महोदय को मैं कहूँगा कि बैठे रहें और देखें कि किस में बात करने को कितनी शक्ति है। ये पेशेंस देखना चाहता हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ इस तरीके से जब आप करते हैं ता शोभा नहीं देता है।

श्री हरिकेश बहादुर : और जगह चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में नहीं हो रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : बात हो चुकी है, डिसकशन हो चुका है। वी हैव हैड [डिसकशन।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

AIR CRAFT (FIRST AMENDMENT) RULES

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): I beg to lay on the table a copy of the Aircraft (First Amendment) Rules, 1982 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 261 (E) in Gazette of India dated the 22nd March, 1982 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 282(E) in Gazette of India dated the 31st March, 1982 under section 14-A of the Aircraft Act, 1934 together with an explanatory Note. [Placed in Library. See No. LT—3914/82.]

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS OF MINISTRY OF ENERGY FOR 1982-83

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of Ministry of Energy for 1982-83. [Placed in Library. See No. LT—3915/82].

NOTIFICATIONS UNDER RESERVE BANK OF INDIA ACT AND A STATEMENT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934:—

(i) Amendments made to Regulation 2.4, Sc. 13. 14c (3), 15- (iv) and 15(v) of the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Regulations.